13-3-15 वकील उभयपक्ष उप० हैं। वास्ते बहस
पत्रावली दि० 27-3-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

27-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। वकील सायल का कहना है कि भूमि ख०नं० 165 ग्राम गोवडीकलां सायलान की भूमि है जिस पर गैरसायलान निर्माण कर काबिज होना चाहते हैं। अत: गैरसायलान को T.I. से पाबंद फरमाया जावे। वकील गैरसायलान का कहना है कि वे ख०नं० 165 मे कोई निर्माण नही कर रहे हैं, उनका निर्माण ख०नं० 164 मे उनकी स्वयं की खातेदारी भूमि मे है। अत: T.I. प्रा०पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ख०नं० 165 रकबा 0.03 गै०मु० रास्ता के रूप में सायलान की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। पक्षकारो में इस नम्बर पर निर्माण को लेकर विवाद है इसकी पुष्टि S.H.O. सदर थाना गंगापुर के पत्र दि० 2.3.3 से भी होती है जिसमें उन्होने भूमि की नाप करवाने की बात पक्षकारों द्वारा कही गई है। चूंकि ख०नं० 165 गै०मु० रास्ता है इसलिए इस रास्ते की भूमि मे कोई निर्माण कार्य नही करने के लिए गैरसायलान को पाबंद किया जाना उचित है।

अत: गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० 165 रकबा 3 एयर गै०मु० रास्ता ग्राम गोवडीकलां में मूल वाद के निर्णय तक कोई निर्माण कार्य नही करे एवं इसके उपयोग उपभोग मे किसी को कोई दखल नही देवें। यदि जरूरत समझें तो गैरसायलान ख०नं० 165 की नाप नियमानुसार तहसील कार्यालय से करवा लेवे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)